

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०-40/2023

व्यवसाय अनुदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

1. श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना, अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक (Mechanic Motor Vehicle(MMV)/Mechanic Autobody Painting/Mechanic Autobody Repair/Mechanic Diesel) अनुदेशक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों (जो भारत के नागरिक हों) से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाईट www.btsc.bih.nic.in पर दिनांक-19.09.2023 से 18.10.2023 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कराये गये वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता एवं कोटिवार पदों की विवरणी निम्नलिखित रूप से है:-

पदनाम	वेतनमान	योग्यता
व्यवसाय अनुदेशक (MECHANIC MOTOR VEHICLE (MMV)/ MECHANIC AUTOBODY PAINTING/ MECHANIC AUTOBODY REPAIR/ MECHANIC DIESEL)	वेतनमान- 9300-34800 / - ग्रेड० पे०- 4200 / - वेतन स्तर-6	(i) शैक्षणिक अर्हता:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से Automobile Engineering/ Mechanical Engineering में 04 वर्षीय Engineering Degree (ii) अनुभव:- राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग/संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 01 (एक) वर्ष का अनुभव। (iii) प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता:- संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (CIAS) का एक वर्षीय प्रमाण-पत्र। अथवा (i) शैक्षणिक अर्हता:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से Automobile Engineering/ Mechanical Engineering में 03 वर्षीय Engineering Diploma (ii) अनुभव:- राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग/संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 02 (दो) वर्ष का अनुभव। (iii) प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता:- संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (CIAS) का एक वर्षीय प्रमाण-पत्र।

नोट:- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान है।

नोट:- (ii) वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसायों के लिए यथाविहित अधिमान्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे परन्तु यदि उनका चयन हो जाता है, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर अपने व्यवसाय में CIAS का कोर्स पूर्ण करना होगा और उन्हें उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण के परे कारणों से उक्त कोर्स पूरा करने में असमर्थ हों तो उसे उक्त पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिये एक वर्ष और अनुमान्य किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर CIAS प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसका प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं किया जाएगा तथा सरकार उसकी सेवा समाप्ति पर विचार कर सकती है, जिसके लिये संबंधित व्यक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। डिग्री/डिप्लोमाधारक जिन्होंने CIAS ट्रेनिंग के प्रथम Semester की सीधी परीक्षा उत्तीर्ण की है, इन्हें CIAS ट्रेनिंग के द्वितीय Semester का ही प्रशिक्षण नियुक्ति के तीन वर्षों के अन्दर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

गुप-3

क्र० सं०	पदनाम (व्यवसाय)	पदों की कोटिवार विवरणी									
		अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला	कुल	दिव्यांग	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/जाती/जतीनी के लिए 2%
		35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण									
1	MECHANIC MOTOR VEHICLE (MMV)	04	01	02	00	02	01	00	10	00	00
		02	00	01	00	01	00	---	04		
2	MECHANIC AUTOBODY PAINTING	03	00	01	00	01	00	00	05	00	00
		01	00	00	00	00	00	---	01		
3	MECHANIC AUTOBODY REPAIR	01	00	00	00	01	00	00	02	00	00
		00	00	00	00	00	00	---	00		
4	MECHANIC DIESEL	35	09	14	01	16	10	03	88	VH-01 HH-01 OH-01 MH-01	02
		13	02	05	00	05	03	---	28		
कुल :-		43	10	17	01	20	11	03	105	04	02

नोट:- (i) दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी है:- VH- दृष्टि दिव्यांग, HH- मूक बधिर दिव्यांग, OH- चलन दिव्यांग, MH- मनोविकार/बहुदिव्यांग।

नोट:- (ii) परीक्षा के पूर्व अध्यायी विभागों से प्राप्त होने वाली अध्यायचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

2. आयु सीमा:- (i) 01.08.2022 को न्यूनतम आयु :- 21 वर्ष।
अधिकतम उम्र सीमा:-
(a) अनारक्षित:-37वर्ष
(b) अनारक्षित महिला:-40 वर्ष
(c) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला):-40 वर्ष
(d) अनु० जाति/अनु० जनजाति (पुरुष/महिला):-42 वर्ष
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं पत्रांक-13107, दिनांक-20.09.2019 के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक) जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा के 5 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (iv) MECHANIC MOTOR VEHICLE एवं MECHANIC DIESEL अनुदेशक के पद पर अंतिम नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में उम्र सीमा की गणना हेतु कट ऑफ तिथि 01.08.2006 निर्धारित था। अतः वैसे उम्मीदवार जो दिनांक-01.08.2007 से 01.08.2022 तक अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते थे और अद्यतन अन्य अर्हतायें पूरी करते हैं, वे भी योग्य पात्र होंगे। MECHANIC AUTOBODY PAINTING एवं MECHANIC AUTOBODY REPAIR अनुदेशक के पद हेतु अधिकतम आयु सीमा में उक्त छूट अनुमान्य नहीं है।

- (v) श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविदा पर नियोजित व्यवसाय अनुदेशक के पद पर कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा। उक्त छूट की गणना Cut-off date दिनांक-01.08.2022 तक की जाएगी।
- (vi) किसी अभ्यर्थी को कंडिका-2(ii), (iii), (iv) एवं 2(v) में से कोई एक ही छूट अधिकतम आयु सीमा में देय होगा।

3. चयन की प्रक्रिया:-

- (i) प्रथम चरण- "लिखित परीक्षा" - लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 100 होंगे।

परीक्षा का पाठ्यक्रम:-

- (a) प्रश्न-पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें 80 प्रश्न कार्यक्षेत्र ज्ञान एवं 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन विषय के होंगे। प्रश्न-पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे।
- (b) कार्यक्षेत्र ज्ञान (80 प्रश्न) के अन्तर्गत प्रश्न, Diploma in Automobile Engineering/ Mechanical Engineering के 03(तीन) वर्षीय Diploma हेतु निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम (Curriculum) के अनुसार पुछे जायेंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के Website पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा।
- (c) शेष 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पुछे जायेंगे।
- (d) उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में Computer Based Test के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम समानीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा।
- (e) परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) लागू किया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 01 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु (0.25) अंक काटा जाएगा।
- (f) उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की समानीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा-फल घोषित किया जाएगा।
- (g) समानीकरण (Normalization) के पश्चात् प्राप्त अंक को मेधासूची तैयार करने हेतु द्वितीय चरण में उपयोग किया जाएगा।
- (h) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

नोट:- लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर द्वितीय चरण हेतु अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जायेगा।

- (ii) द्वितीय चरण- चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार तैयार की जायेगी:-

a.	लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।	50 अंक
b.	डिप्लोमा प्रमाण पत्र/अभियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।	20 अंक
c.	सी० आई० टी० एस० परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 30 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।	30 अंक
d.	श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत अभ्यर्थी को प्रतिवर्ष की गयी संतोषजनक सेवा के लिए 05 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता दी जायेगी (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 05 से गुणा करने पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा) दी जायेगी।	25 अंक
कुल:-		125 अंक

नोट:- बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। बोर्ड/विश्वविद्यालय के नियमावली नहीं रहने की स्थिति में AICTE द्वारा CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला मान्य होगा।

- (iii) अभ्यर्थी, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 19.09.2023 तक संविदा पर कार्यरत होने का कार्यानुभव प्रमाण-पत्र जो श्रम संसाधन विभाग, बिहार के अंतर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उनके पदस्थापन स्थल के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य द्वारा निर्गत हो, आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगे। आवेदन में कार्यानुभव का दावा नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक एवं आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा। कार्यानुभव अवधि की गणना 19.09.2023 तिथि तक की जायेगी।
- (iv) कार्यानुभव प्रमाण-पत्र हेतु परिशिष्ट-1 में प्रारूप (Format) संलग्न किया गया है। इस प्रारूप में ही कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिये जाने पर कार्यानुभव के अंकों एवं आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिये जाने पर अंको का लाभ देय नहीं होगा।
- (v) लिखित परीक्षा के उपरांत कंडिका-3(ii) में अंकित प्रावधानुसार अभ्यर्थियों का कोटिवार मेधासूची तैयार कर मेधाक्रमानुसार Counselling हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
- (vi) एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों पर आवेदन करने पर सफल अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा के परिणाम प्रकाशन के उपरान्त Counselling के पूर्व पदों (व्यवसाय) के अधिमानता क्रम में Preference लिया जाएगा एवं उक्त Preference के आधार पर अंतिम मेधासूची तैयार कर, एक अभ्यर्थी की अनुशंसा केवल एक पद (व्यवसाय) हेतु भेजा जायेगा।

4. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
 - (a) जाति प्रमाण-पत्र
 - (b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
 - (a) कीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
 - (b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- (C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
 - (a) आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र
 - (b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्रउक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा।

नोट:- (i) केवल जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु कीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। कीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र से इतर अन्य जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

नोट:- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-673, दिनांक-08.03.2011 के आलोक में महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु) एवं कीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु) पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। साथ ही इस प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-15760, दिनांक-02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।

नोट:—(iii)आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए बंध माना जायेगा।

आरक्षित कोटि

क्र० सं०	आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (SC)
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
6.	पिछड़े वर्गों की महिला (WBC)

- (iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकण आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव पंजीकरण के उपरांत नहीं किया जा सकेगा। दावा किये गये कोटि से इतर कोटि का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
- (v)(क)सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त संकल्प के Appendix-1 में संलग्न विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र मान्य किया जायेगा, जिसे upload किया जाना एवं Online आवेदन के विहित कॉलम में दिव्यांगता का दावा करना आवश्यक होगा। अन्यथा दिव्यांगता (निःशक्तता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (40% या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक की सुविधा अनुमान्य करायी जा सकेगी। जिस अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-13185, दिनांक-03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के 2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक-28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

- (viii) ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में आरक्षित कोटि/निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती, नाती-नतीनी/कार्यानुभव का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-12722, दिनांक-12.09.2014 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेंडर (थर्डजेंडर) को पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।
5. आवेदन शुल्क:- Online आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत् है:-

क्र० सं०	उम्मीदवार की कोटि	निर्धारित आवेदन शुल्क
1	सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु० 600/-
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रु० 150/-
3	आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रु० 150/-
4	राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला/पुरुष हों।	रु० 600/-

- (i) सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के एक चौथाई जमा करना होगा, अर्थात् अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 600 रूपया निर्धारित है, तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 150 रूपया परीक्षा शुल्क देय होगा।

अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग/UPI के माध्यम से Online Mode से ही जमा किया जायेगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जायेगा।

(Note:- Payment of fee shall be accepted through online mode only.)

ऑनलाईन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी कोटि के अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप आवेदन शुल्क जमा करते हैं, और भविष्य में उनके द्वारा संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रियायती आवेदन शुल्क (Concessional Application Fee) के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से आवेदन शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी।

6. महत्वपूर्ण निर्देश:- ऑनलाईन आवेदन-पत्र में योग्यता/आरक्षण/कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण-पत्र/अंक पत्र, यथा-

- Matriculation का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र
- Engineering Degree/Engineering Diploma का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र या औपबंधिक (Provisional) प्रमाण-पत्र
- CATS का एक वर्षीय प्रमाण-पत्र
- उद्योग/संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण-पत्र/क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र
- स्थायी निवास/आवासीय प्रमाण-पत्र
- बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का प्रमाण-पत्र
- कार्यानुभव प्रमाण-पत्र

से संबंधित सूचना की प्रविष्टि कर उक्त सभी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र विहित Column में Upload करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र Upload नहीं किये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

- उक्त सभी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र वही मान्य होंगे, जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किया है। उक्त सभी प्रमाण-पत्रों/अंक पत्र का संख्या एवं निर्गत तिथि का उल्लेख ऑनलाईन आवेदन में किया जाना एवं विहित Column में Upload किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त सभी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र दिनांक-18.10.2023 तक का निर्गत होना अनिवार्य है।
7. कडिका 3(ii)(d) के अन्तर्गत कार्यानुभव का दावा करने वाले उम्मीदवारों द्वारा संविदा पर कार्यरत होने का कार्यानुभव प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-1 में संलग्न प्रारूप में) निर्गत करने के लिए श्रम संसाधन विभाग, बिहार के अंतर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उनके पदस्थापन स्थल के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य सक्षम प्राधिकार होंगे।
 8. विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण-पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा काउंसिलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र का स्वअभिप्रेमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
 9. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सत्यापन के समय प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
 10. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.btsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट का सतत निरीक्षण करते रहेंगे। अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने, S.M.S अथवा E-mail के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किये जाने की बाध्यता नहीं होगी।
 11. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किये जायेंगे।
 12. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। ऑनलाईन आवेदन में सुधार हेतु किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं वैसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जायेगा।
 13. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को काउंसिलिंग कराना अनिवार्य होगा। काउंसिलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः काउंसिलिंग कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। किन्तु इस संदर्भ में आयोग का निर्णय मान्य होगा।
 14. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-
 - (i) ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी रसीद की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे।
 - (ii) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- (iii) अभ्यर्थी, अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि, आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करेंगे।

- (iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।
- (v) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाईन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
- (vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (vii) फोटोग्राफ:- (क) आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए। (तीन माह के अंदर का)
 (ख) आवेदक/अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए।
 (ग) बैकग्राउण्ड में सफेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवायेंगे।
 (घ) कंडिका 14(vii)(क)(ख)(ग) में वर्णित निर्देशों के अनुरूप फोटो नहीं रहने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
- (viii) अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा माँगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।
- (x) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि में अधियाची विभाग के द्वारा/राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा आयोग के निर्णय के आलोक में विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है।
- नोट:- अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

Sam
14.9.2023

प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

परिशिष्ट-I

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम:-.....

अनुभव प्रमाण-पत्र

ज्ञापांक:-.....

दिनांक:-.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री

..... पिता

..... पता

..... की नियुक्ति विभागीय अधिसूचना/कार्यालय आदेश सं०-.....

दिनांक-..... द्वारा संविदा के आधार पर व्यवसाय अनुदेशक (Mechanic Motor

Vehicle(MMV)/Mechanic Autobody Painting/Mechanic Autobody Repair/Mechanic Diesel)

के पद पर नियुक्ति के पश्चात श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण

(प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन

..... (राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थान का नाम) में दिनांक-..... से

तक पदस्थापित एवं कार्यरत
हैं/थे।

इनका प्रतिमाह वेतन/मानदेय

की दर से भुगतान
किया जाता है/था।

कार्यालय मुहर

(हस्ताक्षर)

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य

का पूरा नाम:-.....

राजकीय औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थान का नाम:-.....

.....

मुहर